

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ () 2017-18 / एफसीए / तकनीकी / मुवसम / ४२४ \

दिनांक २४/०८/१८

निमित्त,

उप वन संरक्षक,
करौली।

विषय- Diversion of 0.99 ha. Forest land in favour of Public Work Department,
Dausa for Construction of Missing Link Road from Udaipura Road to
Toda Bheem Road (ऑनलाइन प्र. सं. FP/RJ/ROAD/22622/2017)

सन्दर्भ- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक F 14 []
2016/FCA/PCCF/CCFEDS-1 Dated 07.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आलौच्य वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा उल्लेखित 12 बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना/आक्षेप पूर्ति कराई जानी है। उक्त संदर्भित पत्र में अंकित आक्षेप संख्या 3, 5, 6 व 9 की पूर्ति हेतु पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र 5282 दिनांक 28.06.2018 द्वारा आपको लिखा गया था।

अतः संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्ताव को ऑनलाईन आपको प्रेषित कर लेख है कि निर्देशानुसार आक्षेप पूर्ति कर प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाया जावे। इस सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 5 व 12 की पूर्ति हेतु प्रस्ताव की हार्ड कॉपीज कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ) राजस्थान, जयपुर से प्राप्त करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होवे।

संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीय
(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 () 2016/FCA/PCCF/CCFEDS-I Dated 7.8.2018

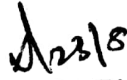
Executive Engineer PWD, Sikandra, Rajasthan Jaipur के द्वारा दौसा एवं करौली जिले के वन मंडल दौसा प्रादेशिक की 0.4896 है० एवं करौली वन मण्डल की 0.5004 है० कुल 0.99 है० में **Construction of Missing Link Road From Udaipura Road to Toda Bheem Road** सडक के निर्माण कार्य हेतु 0.99 हेक्टर वन भूमि के अनारक्षण हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/26222/2017 पर दिनांक 23.11.2017 को रजिस्टर किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है:-

1. मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा पार्ट III में 0.99 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन से सहमति अभिशंषा की गई है जबकि प्रस्ताव में उनके अधीनस्थ वन मंडल दौसा के द्वारा मात्र 0.4896 है० वन क्षेत्र ही प्रत्यावर्तन हेतु अभिशंषा की गई है। अतः संशोधित पार्ट III संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
2. उप वन संरक्षक करौली के ऑनलाईन प्रस्ताव में 4 वृक्ष आना अंकित किया गया जबकि हार्ड प्रति में संलग्न पार्ट II में अंकित नहीं है। प्रस्ताव में उप वन संरक्षक वृक्षों की सूची संलग्न नहीं की गई है।
3. उप वन संरक्षक करौली द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण के रूप में प्रत्यावर्तित वन भूमि का दुगुना क्षेत्र में लिया गया है जबकि उप वन संरक्षक दौसा द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की एवज में कोई राशि नहीं ली गई है। प्रस्ताव 1 है० से कम का है अतः काटे जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कानर्स अंकित नहीं किये गये हैं। एवं जी०टी०शीट भी उचित स्केल पर अपलोड नहीं की गई है।
4. उप वन संरक्षक करौली द्वारा चौकी निर्माण हेतु राशि 10.00 लाख की मांग की गई है जो उचित प्रतीत नहीं होता है अतिक्रमण रोके जाने हेतु दीवार बनवाई जा सकती है। तदनुसार संशोधित अभिशंषा भिजवाया जाना प्रस्तावित है।
5. उप वन संरक्षक करौली द्वारा पार्ट I एवं पार्ट II किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये गये जो प्रस्तावित है।
6. यूजर एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार प्रमाण पत्र एवं जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
7. एरिया कंलकुलेशन शीट में प्रस्तावित वन क्षेत्र पी०एफ० अंकित किया गया है जबकि करौली जिले का वन क्षेत्र आरक्षित वन की श्रेणी में आता है संशोधित शीट लगाया जाना प्रस्तावित है।
8. यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट I के बिन्दु संलग्न DGPS map में वन भूमि के सम्पूर्ण कानर्स के अक्षांश देशान्तर संलग्न नहीं किये गये हैं।
9. यूजर एजेन्सी ने कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होना अवगत कराया गया है इस पर उप वन संरक्षक करौली एवं दौसा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है। विकल्पों का विवरण भी संलग्न नहीं किया गया है।
10. यूजर एजेन्सी द्वारा 9 मीटर चौड़ाई में मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसका ले आउट प्लान दिया जाना प्रस्तावित है।
11. प्रस्ताव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चैनऐज संख्या 0/220 से 0/937 तक पहाड़ी क्षेत्र में सडक निर्माण किया जाना अंकित है जबकि संलग्न कास सेक्शन में 0/400 से 1/150 तक पहाड़ी

क्षेत्र में सडक बनाया जाना अंकित किया गया है। प्रस्ताव में पहाडी की कटाई सम्मिलित है कटाई के दौरान निकले गये मलबा के संबंध में मलबा निस्तारण योजना संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।

12. यूजर ऐजेन्सी दोनो प्रस्तावों को सम्मिलित कर एकजाई प्रस्तुत करे एवं समस्त पृष्ठों में हस्ताक्षर मय नाम पद सील दिनांक के प्रस्तुत किये जावे।

उक्तानुसार सूचना अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर/मुख्य वन संरक्षक भरतपुर को भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।


(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR